[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2022 का विधेयक संख्या–24 एच०एल०ए०

हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022
(प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित)
हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007, को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है।

2008 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 65 का प्रतिस्थापन।

2. हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 65 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"65. प्राधिकरण के कृत्य.–(1) प्राधिकरण, या तो स्वप्रेरणा से या,–

(क) किसी पीड़ित या शपथ–पत्र पर उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति;

(ख) राष्ट्रीय या राज्य मानवाधिकार आयोग,

से शिकायत प्राप्त होने पर, पुलिस उप–अधीक्षक और उससे ऊपर की पदवी वाले पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध नीचे यथा विस्तृत गंभीर कदाचार के आरोपों की जांच करेगा।

व्याख्या.– इस अध्याय के प्रयोजन के लिए "गम्भीर कदाचार" का अर्थ होगा किसी पुलिस अधिकारी का कोई कृत्य जो निम्नलिखित की कोटि में आएगा:

(क) पुलिस हिरासत में मृत्यु;

(ख) पुलिस हिरासत में बलात्कार;

(ग) पुलिस हिरासत में घोर उपहति;

(घ) विधि की सम्यक् प्रक्रिया के बिना हिरासत या निरोध;

(ड.) उद्दापन;

(च) प्रपीड़न के माध्यम से संपत्ति अर्जित करना;

(छ) संगठित अपराध में पुलिस कार्मिक का सम्मलित होना:

परन्तु प्राधिकरण केवल ऐसी गिरफ्तारी या निरोध की शिकायत की जांच करेगा, यदि उसकी शिकायत की सत्यता के बारे में प्रथमदृष्टया संतुष्टि हो जाती है:

परन्तु यह और कि कोई भी गुमनाम, समानार्थक तथा कृतकनाम शिकायतें ग्रहण नहीं की जाएंगी।

(2) प्राधिकरण निम्नलिखित मामलों की जांच नहीं करेगा:–

(i) कोई मामला, जहाँ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 173 के अधीन रिपोर्ट, समुचित न्यायालय में दायर की गई है;

(ii) कोई मामला, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग/राज्य मानवाधिकार आयोग/राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग/राज्य अनुसूचित जाति आयोग/राष्ट्रीय महिला आयोग/राज्य महिला आयोग/राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग/राज्य अल्पसंख्यक आयोग या राज्य लोकायुक्त में लम्बित है या द्वारा पहले से ही निपटान किया जा चुका है;

(iii) किसी मामले के अभिकथित घटने के तीन वर्ष से अधिक समय के बाद इसकी अधिकारिता के भीतर आने वाला कोई मामला;

(iv) किसी विधिविरुद्ध जमाव, विरोध, धरना, किसी सार्वजनिक रास्ते की रुकावट या आवश्यक सेवाओं में व्यवधान से निपटने में पुलिस प्राधिकरणों द्वारा बल का प्रयोग करने से उत्पन्न कोई मामला।

(3) प्राधिकरण, पुलिस महानिदेशक या राज्य सरकार द्वारा इसे संदर्भित किसी अन्य मामले की भी जांच कर सकता है।

(4) प्राधिकरण, शिकायत की प्राप्ति की तिथि से छह मास की अवधि के भीतर शिकायत का निर्णय करेगा।"।

2008 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 68 ग का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 68ग में,–

(i) उप–धारा (1) में, "या तो स्वप्रेरणा से या" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;

(ii) उप–धारा (2) के खण्ड (ii) तथा (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

"(ii) कोई मामला, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग/राज्य मानवाधिकार आयोग/राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग/राज्य अनुसूचित जाति आयोग/राष्ट्रीय महिला आयोग/राज्य महिला आयोग/राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग/राज्य अल्पसंख्यक आयोग या राज्य लोकायुक्त में लम्बित है या द्वारा पहले से ही निपटान किया जा चुका है;

(iii) किसी मामले के अभिकथित घटने के तीन वर्ष से अधिक समय के बाद इसकी अधिकारिता के भीतर आने वाला कोई मामला;"।

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 22 फरवरी, 2023

आर० के० नांदल,
सचिव।

अवधेय: प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित उपर्युक्त विधेयक इसके प्रतिवेदन सहित हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 148 के दिनांक 22 फरवरी, 2023 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

10226—H.V.S.—H.G.P., Pkl.